<u>पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 06 अभियुक्त व एनबीडब्ल्यू में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>दिनांक- 21.06.2024</u>

<u>दिनांक 20/21.06.2024 को थाना आशियाना 01, कृष्णानगर 02, माल 01, पीजीआई 02 अभियुक्त व एनबीडब्ल्यू में थाना काकोरी 03 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त व एनबीडब्ल्यू में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>डी0सी0पी0 पश्चिमी</u>

<u>अवैध भांग के साथ गिरफ्तार।</u>

<u>थाना तालकटोरा</u>-दिनांक 20.06.2024 को उ0नि0 श्री अखिलेश मिश्रा थाना तालकटोरा द्वारा मय हमराही दौराने गस्त अभियुक्त 01-विजय यादव पुत्र स्व0 रामकृपाल यादव निवासी- सी 3717 राजाजीपुरम थाना तालकटोरा लखनऊ उम्र 38 वर्ष को जलालपुर फाटक के पास तालकटोरा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 6.5 कि0ग्रा0 अवैध भांग बरामद कर थाना तालकटोरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>भा0द0वि0</u>

<u>थाना इंदिरानगर</u> - दिनांक 21.06.2024 को थाना इंदिरानगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री रामनारायण शुक्ल पुत्र श्री राम अधार निवासी ए-22 राम विहार कालोनी, शिवाजीपुरम इंदिरानगर-14 लखनऊ ने थाना इंदिरानगर पर सूचना दिया कि वादी के SBI Rupey कार्ड से 94,714/- रूपये फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया है। वादी को कस्टमर केयर से 18601801290 से पूर्व में कॉल आया आया जिसमें कार्ड के एनुअल फीस को सही कराने का अनुरोध किया था। जो कि वादी ने पहले कम्प्लेन किया था। दिनांक 13.06.2024 को वादी को फोन आने पर कार्ड से सम्बंधित जानकारी मांगी गयी थी जानकारी देने के बाद ओटीपी आया जिसको शेयर कर दिया बाद में कस्टमर केयर के व्यक्ति ने पर्सनल नं0 से फोन करना शुरू किया और अपना नाम मेघा दीक्षित मो०नं० 9253249842 एवं 9253455397 दिया। उपरोक्त शेयरिंग से उसने वादी के कार्ड से 94,714/- रूपये Mobikwik System Pvt Ltd. Gurgaon द्वारा निकाल लिया। **इस सूचना पर थाना इंदिरानगर पर मु0अ0सं0- 165/2024 धारा- 66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना पीजीआई</u> - दिनांक 21.06.2024 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री अमित प्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 राम कृष्ण तिवारी पता- ग्राम व पो0 कल्ली पश्चिम थाना पीजीआई लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 13.06.2024 को माता वैष्णों देवी दर्शन हेतु सपरिवार जम्मू गया था। वादी दिनांक 19.06.2024 की रात करीब 01.00 बजे वापस घर आया तो देखा कि घर के आंगन के ऊपर लगे जाल पर प्लास्टिक की टीन शेड़ थी जिसके नट बोल्ट भी खुले हुये थे घर से दूसरे मंजिल पर जाने हेतु लगे जीने का दरवाजा भी कटा हुआ था। घर में रखी लकडी की अलमारी खुली हुई थी जिसमें रखे आठ हजार से दस हजार रुपये नगद व बच्चो की दो गुल्लक भी तोड़कर उसमे भी कुछ रुपयों को भी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0- 416/2024 धारा- 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना पारा</u>- दिनांक 21.06.2024 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि श्री विपिन कुमार पाल पुत्र श्री उमा शंकर पाल निवासी महेन्द्र सिटी नरौना थाना काकोरी लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि वह कुशमा हॉस्पिटल, पारा लखनऊ का मालिक है। दिनांक 17.06.2024 को देशराज अपनी पत्नी पूजा को इलाज हेतु उक्त हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। दिनांक 21.06.2024 की सुबह समय करीब 4-5 बजे के मध्य देशराज द्वारा गेट के बाहर शौचालय के ऊपर लगे इंगल से अपनी पत्नी के दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री रामदेव गुप्ता मो0नं0- 9044360557 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक देशराज उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र रजिते निवासी राघवपुर थाना मल्लावां जनपद हरदोई खेती किसानी करते थे। मृतक के 02 पुत्र व 02 पुत्री है।